न्यायालय अपर जिला कलक्टर, फलौदी

पीठासीन अधिकारी श्री गोपालराम बिरड़ा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 11 / 2023

प्रार्थी

श्रीराम पुत्र नरसिंगाराम, जाति विश्नोई, उम्र 38 वर्ष, निवासी जैसला, तहसील घंटियाली, जिला जोधपुर (राज.)

अप्रार्थीगण

1. जगमालराम विश्नोई पुत्र खेताराम विश्नोई जाति विश्नोई निवासी जैसला तहसील घंटियाली जिला जौधपुर (राज.)
2. ग्राम पंचायत जैसलां जरिये सरपंच
3. सचिव / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जैसला, पंचायत समिति घंटियाली तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
4. सुनिल कुमार पुत्र जगमालराम
5. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
6. भंवरलाल पुत्र खेताराम

सभी जाति विश्नोई निवासी जैसला तहसील घंटियाली, जिला जोधपुर (राज.)

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पटटा संख्या 02 मिसल संख्या 02 दिनांक 01.10.1990 को सरपंच ग्राम पंचायत जैसला द्वारा जारी किया गया

निर्णय दिनांकः 08.05.2024

निगरानी का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम जैसलां की आवादी भूमि में प्रार्थी एवं उसके परिवारजन की पीढियों से कब्जासुदा जायगा आई हुई है। जिसका माप उतरी भूजा 85 फुट, दक्षिणी भूजा 70 फुट, पूर्वी भूजी 65 फुट एंव पश्चिमी भूजा 70 फुट की है जिसका कुल क्षेत्रफल 5231.25 वर्गफुट है। जिसके पड़ौस उत्तर में जगमालराम पुत्र खेताराम का कब्जासुदा भूखण्ड, दक्षिण मे गांव का खाली गवाड है, पश्चिम में डामर सड़क एवं पूर्व में हरचंद पुत्र गुड़ुराम का कब्जासुदा भूखण्ड आया हुआ है। जिसमें एक छपरा, एक पानी का कुण्ड, झंपा बनाया हुआ है। जिसमे प्रार्थी अपने परिवार सहित पिछली 3 पीढियों से निवास करते आ रहा है तथा प्रार्थी एवं उसका परिवार उक्त कब्जासुदा जायगा का उपयोग उपभोग करते आ रहा है जिसमे आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं की है। उसके परिवार के उक्त भूखण्ड के उत्तर दिशा में अपार्थी संख्या 1 जगमालराम पुत्र खेताराम का कब्जासुदा भूखण्ड आया हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थी बुलाराम का पौत्र है तथा अप्रार्थी संख्या 1 खेताराम का पुत्र है । बुलाराम एंव खेताराम भाई थे जो भारताराम के पुत्र थे । इन दोनों परिवारों के ग्राम जैसला में आबादी भूमि में स्थित भूखण्ड पर पीढियों से आधा आधा कब्जा था जिसमें उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 के परिवार का एवं दक्षिण दिशा में प्रार्थी एंव उसके परिवार का कब्जा था । प्रार्थी के परिवार का अपना कब्जासुदा भूखण्ड में एक पानी का कुण्ड, एक छपरा एंव झुंपा बना हुआ है तथा कच्ची पक्की माट कायम की हुई है। जिसमें प्रार्थी एवं उसका परिवार पीढियों से निवास करता आ रहा है और उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसमें आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं की है। दोनों परिवारों ने अलग अलग कब्जा कर रखा था और इसी अनुसार ही काबिज थे। गांव में काफी आबादी है जिसमें ज्यादातर लोगों के पट्टे बने हुवे नहीं है इसी प्रकार प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 के भी पट्टे नहीं थे। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये अपने नाम से ग्राम पंचायत जैसला से पट्टा जारी करवा लिया है । जो पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने भूखण्ड से बाहर जाकर प्रार्थी के हिस्से का भी अपनी जायगा होना बताते हुवे बहुत बड़े भूखण्ड का यानि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के परिवार के कब्जा वाले पूरे भूखण्ड का पट्टा अपने अकेले के नाम से बना लिया है, जिसके लिये प्रार्थी ने न तो ग्राम पंचायत में कोई आवेदन पत्र पेश किया और न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:13:19 IST
Reason: SelfAttested

अति.जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)

कोई नक्शा पेश किया न ही ग्राम पंचायत ने उसको कार्यवाही रजिस्टर में उल्लेख किया, न ही कोई तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट मंगवाई और न ही कोई मौके की जांच की और न ही कोई आपत्ति अनापत्ति दर्ज की और न ही किसी को सूचना दी । बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ग्राम पंचायत जैसला ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में आलौच्य पट्टा जारी कर दिया। जिसकी कभी भी प्रार्थी को जानकारी नही थी क्योंकि प्रार्थी अपने भूखण्ड पर निर्बाध रूप से काबिज था लेकिन अभी हाल ही में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के कब्जासुदा भूखण्ड में दखल अंदाजी करने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को मना करने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त तथाकथित पट्टा अपने पक्ष में जारी होना बताते हुवे प्रार्थी एवं उसके परिवारजन (काका भाभा) को भूखण्ड खाली करने की धमकी देने पर प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड/जायगा बावत् अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध श्रीमान् सिविल न्यायाधीश बाप के समक्ष एक दावा एवं एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पेश किया तथा ग्राम पंचायत जैसला से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर की प्रति मांगी तो ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जैसला ने उक्त पट्टा से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर एवं रसीद पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया। तब प्रार्थी को सर्वप्रथम पता चला कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत जैसला से मिली भगत कर अपने नाम से एक बनावटी एवं फर्जी पट्टा बना कर उक्त पट्टा की आड़ में प्रार्थी का भूखण्ड /जायगा हड़प करना चाहता है जिसके विरूद्ध यह निगरानी पेश है तथाकथित पट्टा विधि विधान संचिका अभिलेख के तथ्यों के विरूद्ध न्याय के विपरित कानूनन व इंसाफन गलत होने के कारण काबिल मन्सुख है । सरपंच ग्राम पंचायत जैसलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत जैसलां के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जो पट्टा संख्या 02 मिसल संख्या 02 दिनांक 01.10.1990 को जारी किया जाना बताया गया है उक्त पट्टे के बारे में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के कार्यालय से कार्यवाही रजिस्टर एंव रसीद की प्रति चाहने पर पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रार्थी को यह बताया गया कि ग्राम पंचायत जैसलां में अप्रार्थी संख्या 1 नाम से उक्त पट्टा रजिस्टर कार्यवाही एंव रसीद रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है । इससे स्पष्ट ताईद होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा बनावटी एवं फर्जी जारी किया गया है । अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत जैसलां से मिलकर फर्जी पट्टा जारी करवाया है। अकेले सरपंच को पट्टा जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। पंचायत प्रोसिडिंग में उक्त पट्टे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है । अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र उक्त पट्टा प्राप्त करने के लिये पेश नहीं किया तथा न ही पंचायत रजिस्टर में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा न ही पंचायत में उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करने के बाद पंचायत ने कोई भी मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई तथा न ही मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई आब्जेक्शन सुने उक्त सारी कार्यवाही का पंचायत रजिस्टर में कई कोई उल्लेख नहीं है तथा न ही कोई रेकर्ड ही उपलब्ध है । उक्त रेकर्ड प्राप्त करने के लिये प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया। सचिव ने स्पष्ट लिखा कि उक्त रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है तथा न ही उक्त पट्टे के सम्बन्ध में कोई इन्द्राज किया गया है। इससे स्पष्ट ताईद होता है कि उक्त पट्टा वाले वाले व अकेले सरपंच के द्वारा जारी किया गया है पंचायत नियमों की कतई पालना नहीं की गई है। [illegible] अपनाये हुए सरपंच ने अपनी मनमर्जी से पट्टा जारी कर दिया है उक्त विवादित पट्टे की कोई वैधानिकता नहीं है तथा उक्त पट्टा फर्जी है। प्रार्थी एवं परिजनों [illegible] कब्जासुदा भूखण्ड / जायगा को साथ में मिला कर अपने पक्ष में [illegible] पट्टा ग्राम पंचायत जैसला से जारी करवा लिया तथा अभी विवाद होने पर अप्रार्थी संख्या 01 नें आगे अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 को हस्तान्तरित भी कर दिया है जबकि मौके पर जायगा /भूखण्ड पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से 3 पीढियों से प्रार्थी एंव उसके परिजन काबिज चले आ रहे है, प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के बीच गांव के मौजिज लोगों द्वारा समझाईश भी की गई जिसमें अप्रार्थीगण ने आधा कब्जा प्रार्थी एवं उसके परिजनों का होना माना है जिसकी ग्राम पंचायत जैसला के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:13:19 IST
Reason: SelfAttested

अति॰जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज॰)

लेटर हेड पर लिखापढी भी की गई है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने उस लिखापढी को नहीं मानते हुवे अपने उक्त पट्टे की आड़ व सहारा लेते हुवे मौके पर दखल अंदाजी कर रहे है। जबकि इस प्रकार अविधिक पट्टे का जो बिना विधिक प्रक्रिया के जारी किया हुआ है उसका विधि में कोई महत्व नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत जैसलां द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व मौके पर कब्जा सम्बन्धित जांच नहीं की गई है न ही प्रार्थी को सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया है ग्राम पंचायत जैसलां द्वारा जारी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी उक्त विधि विरुद्ध पट्टा संख्या 02 मिसल संख्या 02 दिनांक 01.10.1990 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें

प्रार्थी द्वारा पेश निगरानी को जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी हेतु नोटिस जारी कर तामील हेतु भेजे गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 04 ता 06 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार जोशी ने वकालातनाम पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के सम्मन रजिस्टर एडी से भेजे गये जिनकी रशीद पेश की गई उनकी तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी सं0 1 एवं 4 ता 6 अधिवक्ता को अनेक अवसर देने के उपरान्त किसी ने अपना जबाब व बहस नही की। अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 04 ता 06 का जबाब बन्द किया जाकर पत्रावली को बहस में रखा गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन निगरानी के साथ पेश दस्तावेजो से स्पष्ट है कि ग्राम जैसला में जिस जगह का पट्टा संख्या 2 मिसल संख्या 2 दिनांक 01.10.1990 को जगमाल राम अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में होना बता रहे है। उस बाबत प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत जैसला से सूचना के अधिकार के तहत सूचना मागे जाने पर अप्रार्थी 3 ग्राम विकाश अधिकारी जैसला द्वारा उक्त पट्टे बाबत कार्यालय ग्राम पंचायत जैसला में रिकोर्ड उपलब्ध नही होने का बताया है तथा ग्राम पंचायत जैसला के लेटर पेड पर लिखित शपथ–पत्र में भी दोनो पक्षो का आधा–आधा कब्जा होना बताया है। उक्त भूखण्ड बाबत प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में वाद पेश करने बाबत भी वाद की प्रति पेश कर रखी है। जिस आधार पर यह प्रतीत होता है कि दोनो पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है तथा दोनो का वाद ग्रस्त भूखण्ड पर आधा–आधा कब्जा है तथा उक्त कब्जा प्रार्थी पूर्वजो के समय से पुस्तेंनी होना बता रहे है। इस प्रकार यदि पुस्तेनी कब्जा है तो वाद ग्रस्त भूखण्ड का पट्टा भी दोनो के सामलाती होना चाहिए था लेकिन एक पक्ष द्वारा पूरे भूखण्ड का पट्टा अपने पक्ष में जारी होना बताने तथा उसका रिकोर्ड भी ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही होने से यह साबित होता है कि उक्त पट्टा बनावटी व फर्जी पट्टा है तथा एक विधिवत पट्टे जारी करने में अपनायी जाने वाली विधिक प्रक्रिया भी नही अपनायी जानी साबित हुई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

Signature Not Verified

आदेश

Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:13:19 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत जैसला द्वारा अप्रार्थी सं. 1 जगमालराम के पक्ष जारी किये गये पट्टा संख्या 2 मिसल संख्या 2 दिनांक 01.10.1990 को विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल राम बिरडा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी